//कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर कटनी//

//विज्ञप्ति//

//वाहन चालक (संविदा) की भर्ती हेतु//

कमांक 936 / स्थापना / जि.वि.से.प्रा. / 2026 कटनी, दिनांक 30/6/2026

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी हेतु संविदा आधार पर वाहन चालक की नियुक्ति हेतु निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहें–

1. आवेदन करने की प्रारंभ तिथि – **दिनांक 01.07.2026 से प्रारंभ**

2. आवेदन करने की अंतिम तिथि – **दिनांक 31.07.2026 को सायं 05.00 बजे तक**

3. पद का नाम एवं संख्या :– **वाहन चालक – 01 पद**

क्रं0	पद का नाम	पदों की संख्या	मानदेय			पात्रता	आवेदन पत्र करने की प्रारंभिक तिथि	आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि
			क्रं.	शहर की श्रेणी	मासिक मानदेय रुपयों में			
1	वाहन चालक	01	01	''ए'' श्रेणी (10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले शहर)	रु 14000/– रुपये	01. मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से हाई स्कूल (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण 02. चार पहिया मोटर वाहन ड्राईविंग लाईसेन्स धारक 03. किसी शासकीय /अधिकृत संस्थान द्वारा जारी मैकेनिक का प्रमाण पत्र धारक को प्राथमिकता दी जायेगी।	01/07/2026	31/07/2026
			02	''बी'' श्रेणी (2 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या वाले शहर)	रु 13000/– रुपये			
			03	''सी'' श्रेणी (2 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर)	रु 12000/– रुपये			

शर्तें:–

1. कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि, वह भारत का नागरिक नहीं हो। एवं आवेदक की आयु विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक में न्यूनतम 18 वर्ष या अधिकत्तम 35 वर्ष हो।
2. कोई भी अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हैं, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
3. कोई भी अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, जिसकी 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हैं,

स्पष्टीकरण–

(अ) व्यक्ति जिसके दो से अधिक संतान हैं को नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं समझा जाएगा, जहां पूर्व से ही एक जीवित संतान होने के पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक संतानें पैदा हुई हों।

(ब) दिनांक–26.01.2001 से 280 दिनों के भीतर जन्मी संतान को अयोग्यता की श्रेणी में नहीं माना जाएगा।

कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसे जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये शारीरिक रूप से स्वस्थ होना प्रमाणित न किया गया हो।

परंतु अभ्यर्थी को नियुक्ति दिनांक से 30 दिवस के भीतर उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा। उक्त 30 दिवस की अवधि में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी की नियुक्ति समाप्त किये जाने के योग्य होगी।

4. अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की अभ्यर्थिता हेतु समर्थन प्राप्त करने का कोई भी प्रयास उसे चयन के लिये अयोग्य कर देगा।

कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा यदि वह –

(अ) व्यक्तियों के किसी ऐसे समूह का सदस्य है या रहा हो, जिसे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा (जैसी भी स्थिति हो) अवैध घोषित किया गया हो, और पद के लिए विज्ञापन के प्रकाशित होने की दिनांक तक सदस्य रहा हो।

अथवा

(ब) जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी गतिविधि में भाग लेने अथवा ऐसे कार्यक्रम से जुड़ने का अभियोग लगाया गया हो।

एक– जिसका ध्येय भारत के संविधान को क्षति पहुँचाने का रहा हो।

दो– जिसका ध्येय संगठित होकर हिंसा द्वारा विधि की अवज्ञा या भंग करना हो।

तीन– जो भारत की संप्रभुता व अखण्डता अथवा राज्य की सुरक्षा के हितों के प्रतिकूल हो अथवा

चार– जो धर्म, वंश, भाषा, जाति या संप्रदाय के आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों के मध्य बैर, शत्रुता अथवा घृणा की भावना को बढ़ावा देता हो।

अथवा

(स) जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा या स्थानीय निकाय अथवा किसी भी न्यायालय द्वारा सेवा से पृथक किया गया हो।

अथवा

(द) जिसे संघ अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा या किसी स्थानीय अथवा वैधानिक निकाय द्वारा अथवा किसी न्यायालय ने उसके द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित अथवा अनर्ह किया गया हो।

अथवा

(ई) जिसे नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध किया गया हो।

5. अन्य आवश्यक अर्हता एवं जानकारी –

(1) केन्द्र या राज्य के शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के नियोजित होने के संबंध में जानकारी छिपायी जाती है अथवा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो उसके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जावेगी तथा उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

(2) अभ्यर्थी किसी भी स्थापना में किसी भी पद हेतु नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, यदि उसके विरूद्ध कोई विभागीय जाँच लंबित हो।

(3) मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर म0प्र0 द्वारा समय–समय पर जारी संशोधनों के अंतर्गत अनर्हता के नियम लागू होंगे।

(4) साक्षात्कार में अभ्यर्थी का भाग लिया जाना पूर्णतः प्राविधिक है। अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये, स्वयं की शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता संबंधी समस्त मूल दस्तावेज एवं फोटो परिचय–पत्र भी लाना आवश्यक है।

(5) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर को होगा।

(6) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है, या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो संज्ञान में आने पर किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी। इस संबंध में कोई भी पत्राचार/अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

(7) यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो, तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक व दिनांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन में दाण्डिक प्रकरण की जानकारी छिपाता है, तो किसी भी समय संज्ञान में आने पर तत्काल उसकी अभ्यर्थिता बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी।

6. अनर्हताएं –

निम्नलिखित मामलों में, उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा –

1- जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या

2- प्रतिरूपण (Impersonation) किया हो या कराया हो, या

3- कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या

4- चयन के किसी भी स्तर पर दिये गये किसी भी आवेदनध्प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या

5- साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

6- साक्षात्कार में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

7- साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचायी हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

आवेदकों को साक्षात्कार की सूचना में दिये गये किन्हीं निर्देशों या अन्य अनुदेशों, जिनमें साक्षात्कार संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

8- साक्षात्कार केन्द्र में शोर मचाना, वाद–विवाद करना, अधिकारियों व कर्मचारियों के आदेशों की अवहेलना करना या

9- परिसर के भीतर या साक्षात्कार कक्षध्हॉल में कोई निषिद्ध वस्तु लाता है, या किसी फर्नीचर/वस्तु को कोई नुकसान पहुंचाता है, या

10- साक्षात्कार में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखता है। साक्षात्कार कक्ष के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा लगा कोई उपकरण या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इन निर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन अभ्यर्थिता को रद्द कर देगा और अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से निष्कासित किया जा सकेगा, जिसमें भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेने पर प्रतिबंध भी शामिल हो सकता है, अथवा

11- अन्य कोई ऐसा आचरण किया हो जो आदर्श परीक्षार्थी के लिये वर्जित है।

7. (क) भर्ती की योजना –

उक्त पदों की भर्ती दस्तावेजों की स्क्रीनिंग एवं साक्षात्कार के माध्यम से संपन्न होगी, साक्षात्कार के समय आवश्यक लगने पर प्रयोग के माध्यम से भी अभ्यर्थी की दक्षता की जांच की जा सकेगी। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि व समय पर साक्षात्कार समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा, साक्षात्कार 10 अंकों एवं प्रयोगिक 10 अंकों का होगा। साक्षात्कार दिवस में अभ्यर्थियों को अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज लेकर आना अनिवार्य होगा –

1- अर्हकारी व समस्त प्रमाण पत्रों (जिसका उल्लेख अपने आवेदन में किया है) की मूल Original प्रतियाँ

2- मूल Original पहचान पत्र

3- प्रवेश पत्र

नोट– 1. अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये, स्वयं की शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता संबंधी दस्तावेज तथा अनुभव प्रमाण पत्र आदि समस्त मूल (Original) दस्तावेज एवं फोटो परिचय–पत्र लाना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के पूर्व अभ्यर्थी के सभी दस्तावेजों की जांच उसके द्वारा भरे गये आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों से मिलान करते हुए की जावेगी और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की जावेगी, जिनके दस्तावेज जांच उपरांत प्रथम दृष्टया सभी दृष्टिकोण से पूर्ण पाये जायेंगे। कोई भी अभ्यर्थी जो मूल दस्तावेज नहीं लाता है अथवा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों से मूल का मिलान नहीं होता है अथवा जानकारियों में भिन्नता पाई जाती है तो उसे साक्षात्कार की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।

2- यदि कोई अभ्यर्थी मूल दस्तावेज लेकर नहीं आता है या वांछित दस्तावेज लेकर नहीं आता है तो इसके लिये अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को अयोग्य मानते हुए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त मानते हुए उन्हें साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष नहीं भेजा जावेगा।

3- अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें, साक्षात्कार पश्चात् अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की पुनः जांच की जावेगी, परिणामस्वरूप यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेजों के आधार पर पात्र नहीं पाया जावेगा तो अपात्र घोषित कर दिया जावेगा, उक्त संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा, भले ही अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयनित क्यों न हो रहा हो। यदि अभ्यर्थी किसी त्रुटि के चलते साक्षात्कार देने में सफल हो जाता है, तब भी उसकी अभ्यर्थिता चयन पूर्व व पश्चात् निरस्त की जा सकेगी।

(ख) साक्षात्कार की सूचना –

साक्षात्कार के पूर्व जिला न्यायालय कटनी म०प्र० की वेबसाईट पर जारी की जावेंगी, साक्षात्कार में वर्णित निर्देशों का पालन करना अभ्यर्थी के लिये अनिवार्य होगा। अन्यथा उसे आगामी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से निरहित कर दिया जायेगा।

(ग) साक्षात्कार केन्द्र व दिनांक–

अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नियत की गई तिथि में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी में किया जावेगा, जिसकी सूचना जिला न्यायालय कटनी की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी। अभ्यर्थी को अंकित तिथि को ही साक्षात्कार केन्द्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय कटनी में उपस्थित होना होगा, उक्त संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

8. आवश्यक सूचना–

(1) आवेदक को अपने साक्षात्कार केन्द्र पर निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से मूल दस्तावेजों सहित उपस्थित होना आवश्यक है।

(2) आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर साक्षात्कार केन्द्र पर उपस्थित न होने देर से उपस्थित होने पर आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी तथा अन्य तिथि अथवा अन्य बोर्ड में साक्षात्कार देने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

9. अंतिम चयन सूची/परिणाम –

1- साक्षात्कार समाप्त होने के पश्चात् श्रेणीवार मेरिट के आधार पर अंतिम चयन व प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी जिसे जिला न्यायालय कटनी की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जावेगा। समान अंक होने की दशा में ऐसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र अधिक होगी को वरियता दी जावेगी।

2- अंतिम परिणाम पर पुनर्विचार एवं परिवर्तन करने हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

नोट– 1. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अर्हता उसके दस्तावेजों व पृष्ठभूमि के सत्यापन उपरांत नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी की संतुष्टि के अध्यधीन होगी।

2. अंतिम परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि लिपिकीय त्रुटि या अन्य कोई सारवान् त्रुटि ध्यान में आती है तो मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर का पारिणामिक परिवर्तनों के साथ चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

10. प्रतीक्षा सूची

पद की प्रतीक्षा सूची **1 : 3 (एक पद के लिए लगभग तीन अभ्यर्थी)** के अनुपात में तैयार की जायेगी। प्रतीक्षा सूची अंतिम परिणाम जारी होने की तिथि से 12 महीने की अवधि के लिये लागू रहेगी, जिसे मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के अनुमोदन के बाद 6 माह के लिये आगे बढ़ाया जा सकता है।

11. नियुक्ति के संबंध में :–

चयनित आवेदकों की नियुक्ति माननीय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के पत्र क्र. फा.नं. 337/स्थापना/राविसेप्रा/126, जबलपुर, दिनांक 09.04.2026 के अनुसार **दो वर्ष के लिए संविदा आधार पर** की जाएगी। संविदा अवधि के पश्चात् नियमित नियुक्ति या निरंतर सेवा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

12. सूचना के अधिकार के तहत जानकारी

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी सूचना अधिकारी से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त की जा सकेगी।

13. विनष्टीकरण–

आवेदन–पत्रों (अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन व दस्तावेजों को छोड़कर) व अन्य सामग्री को चयन सूची/अंतिम परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जायेगा।

14. यात्रा व्यय का भुगतान–

साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता अथवा व्यय देय नहीं होगा।

15. अभ्यावेदन पत्राचार–

ई०मेल के माध्यम से कोई भी अभ्यावेदन/आवेदन स्वीकार नहीं होगा और स्वतः निरस्त माना जाएगा। विज्ञापन की शर्तों में परिवर्तन, अर्हता, आयु–सीमा एवं साक्षात्कार तिथियों आदि में परिवर्तन या छूट के संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

16. शुद्धिपत्र–

आवश्यकता होने पर शुद्धिपत्र प्रकाशित किया जायेगा, जो कि इस विज्ञापन का भाग माना जायेगा। जिला न्यायालय कटनी की वेबसाईट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के सूचना पटल पर प्रकाशित शुद्धिपत्र को अभ्यर्थियों के लिये उचित एवं पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जावेगा। शुद्धिपत्र की जानकारी प्राप्त नहीं होने के आधार पर प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जावेगा।

17.निष्कासन अथवा त्यागपत्र

प्रकिया में चयनित अभ्यार्थी की सेवाएं संतोषजनक न पाये जाने या अन्य प्रशासनिक स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताए 01 माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकेगी। चयनित अभ्यार्थी भी 01 माह का पूर्व नोटिस देकर या 01 माह का वेतन के बराबर राशि जमा किया जाकर त्यागपत्र दे सकेगा।

(मृणालिनी सिंह)
न्यायाधीश/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कटनी (म0प्र0)

//आवेदन पत्र//

//कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी पद – वाहन चालक (संविदा)//

यहां अपना पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करें एवं उसे स्वप्रमाणित करें

01. आवेदक का नाम –
02. पिता का नाम –
03. माता का नाम
04. जन्मतिथि –
05. दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में आयु – वर्ष.....माह.....दिन.....
06. जाति..... वर्ग (अनु.ज.जा./अनु.जा./अ.पि.व./सामान्य)
07. लिंग (पुरुष/महिला/अन्य) –
08. वर्तमान निवास का पता –
.....
.....
.....
09. स्थायी निवास का पता –
.....
.....
.....
10. आधार/मतदाता परिचय पत्र नं. –
11. मोबाई नं. (व्हाटसअप) –
12. ई–मेल आई.डी. –
13. न्यूनतम अर्हतायें (निम्न दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित छायाप्रतियां संलग्न की जावें)

मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से हाई स्कूल (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण –
.....

चार पहिया मोटर वाहन ड्राईविंग लाईसेन्स –
.....

किसी शासकीय/अधिकृत संस्थान द्वारा जारी मैकेनिक का प्रमाण पत्र धारक को प्राथमिकता दी जायेगी। –
.....
.....

//शपथ पत्र//

मैं..... पिता श्री स्व–घोषित करता हूँ कि किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा मेरे विरुद्ध न तो कोई दोषसिद्धि हुई है और न ही वर्तमान में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है। उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं विश्वास करने योग्य है।

स्थानः–
दिनांक–

आवेदक के हस्ताक्षर
मो0 नं0.....